

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-अनियमितता-206/2020-
प्रेषक,

1278 (मौ०) / पटना, दिनांक-23/6/2020

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद।

विषय:-जहानाबाद जिलान्तर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत लखावर कुण्डा पोखर,
आहर एवं पर्ईन का जीर्णोद्धार कार्य में अतिक्रमण व गुणवत्ता के शिकायत के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-श्री रौशन कुमार, ग्राम+पोस्ट-लखावर, थाना-घोषी, जिला-जहानाबाद, (बिहार) से प्राप्त
आवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्री रौशन कुमार, ग्राम+पोस्ट-लखावर,
थाना-घोषी, जिला-जहानाबाद द्वारा सुचित किया है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत जल-जीवन-हरियाली
अभियान के तहत लखावर कुण्डा पोखर, आहर एवं पर्ईन का जीर्णोद्धार कार्य में अतिक्रमण मुक्त एवं
गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की
जांच कर ली जाय। योजना का कार्य प्राक्कलन विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है तो
संवेदक के विरुद्ध "बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली" के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई करें तथा दोषी
अभियन्ताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाय। साथ ही अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी के कार्यालय
में 'Bihar Public Land Encroachment Act' के तहत मुकदमा दायर करें।

विश्वासभाजन,

27/6/2020
23/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1278 (मौ०)

/पटना, दिनांक-23/6/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/2020
23/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1278 (मौ०)

/पटना, दिनांक-23/6/2020

प्रतिलिपि-श्री रौशन कुमार, ग्राम+पोस्ट-लखावर, थाना-घोषी, जिला-जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/2020
23/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

24/6/20

31/05/20 (m/s)
70,

The Respective Concern
Nixon Immigration Dept.
Patna Bihar

Subos complain against said work.

JHS
04-06-2020

Sir,

I Roustan Kemer letter NO. 1, 2, 3

Send you at your mail. kindly

find the attachment in your mail.
and copy of perox is send through
registered post as well.

2186/51.3-51.4
02/6/20

~~2199/51.3-51.4~~

CS
20/5
5/6

2361 (m/s)
5/6/20

Thank you

Roustan Kemer

प्रेषक,

शैशन कुमार
ग्राम-पो- लखनावर
ग्राम - चौधी
जिला - जहानाबाद (बिहार)
मो-नं- 9304031683

सेवा में,

प्रमुख सचिव

लघु जल संसाधन विभाग पटना (बिहार)

अपर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग पटना (बिहार)

विषय :- सरकार कि सहत्वकांक्षी योजना (जलजिवन-
हरिमाली) के अन्तर्गत लखनावर कुण्डा
पोखर, आहर, व पडिन का निर्माण कार्य में
अतिप्रमण व गुणवत्ता के अभाव के संबंध में।

सहाय्य,

मैं शैशन कुमार (35) ग्राम-पो- लखनावर ग्राम
चौधी जिला जहानाबाद (बिहार) का निवासी हूँ।
हमारे ग्राम में जल जीवन हरिमाली योजना
के अन्तर्गत कुण्डा पोखर, आहर व पडिन का
निर्माण कार्य किया जा रहा है।
इस विषय में आपके विभाग (लघुसिंचाई)
के कार्यपालक अभियन्ता एम संविदाकार के
दिनांक 04/05/2020 का ज्ञापन हम सभी ग्रामिण
जन द्वारा दिया गया था (प्लाना प्रति संलग्न)
जिसमें पोखर, आहर, व पडिन कार्य में अतिप्रमण
व गुणवत्ता पूर्ण कार्य किया जाय जिसका
निराकरण आज दिनांक 28/05/2020 तक नहीं
कार्यपालक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया है।
इसी विषय में दिनांक 24/05/2020 का आपके
सतर्कता विभाग (लघुसिंचाई) के वेदसम्प नं
8987356342 एम ईमेल आईडी MWR0
CONTROLROOM@JALJAL.COM पर भी अभाव
किया गया था (प्लाना प्रति संलग्न) परन्तु अभी
तक अतिप्रमण एम गुणवत्ता पूर्ण कार्य करवाने
के संबंध में कोई प्रगती नहीं हुई है।

13/9/20
10
अतः श्री मान से प्रार्थना है। की निम्नलिखित
विन्दुओं पर विचार कर के अतिशिष्ट प्रामिण जण
व योजना के हित में दिशा निर्देश जारी करें

(1) — आपके विभाग (खद्य जल संसाधन) पटना
विहार के दिनांक - 21/08/2019 पत्र सं० ~~1491~~
1491 (भा०) का पालन करते हुए उचित आदेश
दिया जाय

(ii) कार्य स्थल पर विभागीय अधिकारी का
दिनांक 06/05/2020 पत्र सं० 996 (भा०) के अनुसार
आना अनिवार्य करें ताकी कार्य खड़ी हो सके।

(iii) पारखर के उत्तर और पश्चिम में अतिक्रमण से
संभावित है इसके परिण का निर्णय दिया जाय
जिससे सभी जीव वस्त्रवासी का पटवन खड़ी
तरिक से हो सके (परिन का पत्र सं- 1563/10/19)

(iv) उपरोक्त कार्य का केई भी अग्रतान निविदा
का ऑन्य के उपरान्त ही किया जाय। जिससे
सरकारी पैसों का अक्षय न हो।

अतः श्री मान से निवेदन है की उच्च विषय
में जल्द से जल्द उचित कदम उठाया जाय
जिससे की प्रामिण जण के कृषि कार्य में योजना
से लाभ हो सके। अन्यथा प्रामिण जण न्याय
में जाने के लिए मजबूर होंगे।

आपका

शैशन कुमार

सेवा में,

पेज - (1)

सतर्कता विभाग (अच्छे सिंचाई विभाग)

विषय :- जल-जिवन हरियाली योजना अन्तर्गत ग्राम लखवावर कुण्डा पोखर, आहूर व पडिन की निर्णीकार कार्य में शिकायत के सम्बन्ध में।

सहायक

में शैलज कुमार उम्र (35) वर्ष ग्राम लखवावर - ग्राम - घोषी - जिला जहानाबाद का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में जल-जिवन हरियाली योजना के तहत कुण्डा पोखर, आहूर व पडिन के निर्णीकार कार्य किया जा रहा है।

इस विषय में आपके विभाग (अच्छे सिंचाई) के कार्यपालक अभियन्ता एवं संचालक के हम सभी प्राप्ति में गुणवत्ता और अतिक्रमण मुक्ति के लिए दिनांक 04/05/20 के आवेदन दिए थे। जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है।

इस कार्य के लिए निम्नलिखित शिकायत हम सभी प्राप्ति का इस प्रकार है:

- (i) ग्रह की पोखर, आहूर, व पडिन की नापी और अतिक्रमण मुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है।
- (ii) ग्रह की पोखर, आहूर, व पडिन में अभी तक अतिक्रमण के विषय में आपके विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं की जा रही है। जिससे कार्य के गुणवत्ता के स्तर में गिरावट हो रही है। और आपके विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक - 149 (शे.व) दिनांक - 21/08/2019 के अर्बे लन - किया जा रहा है।

21/05/2020

पेज - (11)

(iii) विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों की स्थिति पर कमी नहीं आती है। जिससे की हो रहे कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हम सभी प्राप्ति के विवक्षित होती है।

(iv) पत्रों में चार से निकलता हुआ गंदा पानी नाली के द्वारा हीत हुए जो गिरता है। इस समस्या से निजात दिखाने।

अतः श्रीमान से निवेदन है की सर आपकी बिधागत का निराकरण होने तक निविदाकार का कोई भी मुक्त सुगतान न किया जाय जिससे की सरकारी पैसे (धन) का नुकसान हो। इसके लिए मैं आपका शब्दा आभारी रहूँगा।

आपकी

नाम - शैलेश कुमार

फोन नं - 93040 1683

ई-मेल - yuv893 39719@gmail.com

4th May 2020

सेवा में,

कार्यपालक इंजीनियर
जल विभाग, जयपुर
जयपुर (राज.)

विषय - जल मंत्रालय के पदवी कुटा पत्रों के रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ - पदवी कुटा के पत्रों के निष्कासन के संबंध में।

महोदय,

निर्देश पूर्वक यह कहना है कि जल मंत्रालय, प्रकाश चौकी, जिला जयपुर के आधीन आपके विभाग द्वारा जल पत्रों हेतु जारी शीट नंबर 1000 पत्रों में रद्द कर दिया जा रहा है। इस कार्य में शामिल किए गए सभी शीट नंबरों का प्रति प्रकृत विभाग जा रहा है।

a copy of received
by Mr. Poojey Kumar
on behalf of contractor
& E.E. office Jyoti
Poojey
904/05/020

(i) इस कार्य में पूर्व समग्र कुटा पत्रों के निष्कासन के संबंध में जल मंत्रालय के पत्रों में रद्द कर दिया जा रहा है।

(ii) इस कार्य के संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे जायें।

शेष बात यह सुझाव है कि शामिल किए गए सभी कार्य के संबंध में जल मंत्रालय के पत्रों में रद्द कर दिया जा रहा है।

- 16
1. राजेश कुमार
 अजीत चावण
2. राजपाल चावण
3. शोभा चावण
4. मोदी चावण
5. Deepak Kumar
6. Deenbandhu Kumar
7. Nitesh Kumar
8. राम प्रसाद
9. Ramakant Prasad
10. JOMAN Kumar
11. Haremunandan Prasad
12. राजेश प्रसाद
13. Ranjay Kumar

(26) बलपु कुमार

(45) Manish Kumar

कलेश कुमार

(46) Anshu Kumar

(27) सुदीप कुमार

(47) Bhanu Kumar

28) सत्येंद्र शाह

48) Chintu Kumar

29) सुनील

30) रविशंकर

31) Hirday Paswan
Hirday Paswan

32) दीपक कुमार
दीपक कुमार

33) प्रमोद कुमार

34) संजय पावका

35) विवेक शर्मा

36) राज कुमार

37) नीलेश कुमार

38) अजय कुमार

प्रियंजन कुमार

अभिमान कुमार

विकी शर्मा

निरंजन कुमार पाठक

प्रति

① Sign Jorventure.
Jehnasend.

संभावित

- ① शिशु कुमर
- ② Narson Nayan
- ③ Alhath
- ④ Subodhman Singh
- ⑤ Dheemendra Kumar
- ⑥ Surendra. pasad.
- ⑦ Gollanone K
- ⑧ श्री 204 कुमर
- ⑨ Rahaal Kumar
- ⑩ ANUPKUMAR
- ⑪ धनंजय कुमर
- (12) श्री 204 कुमर
- (13) Anus Kumar
- (14) Dhanraj Kumar
- (15) श्री 204 कुमर
- (16) जीवरघुन कुमर
- (17) मुकेश कुमार
- (18) अमल कुमर
- (19) श्री 204 कुमर
- (20) शैल कुमर
- (21) Sonu Kumar
- (22) सुनील कुमर
- (23) राजगड कुमर
- (24) अशोक यादव